इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 119] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 मार्च 2013—फाल्गुन 28, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2013

क्र. 7897-वि.स.-विधान-2013.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 9 सन् 2013) जो विधान सभा में दिनांक 19 मार्च, 2013 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ९ सन् २०१३

मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, २०१३

मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, १९८४ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम, २०१३ है.

धारा ३ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, १९८४ (क्रमांक १५ सन् १९८४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में,—

(एक) उपधारा (१) में, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २००७" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २०१२" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २००७" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २०१२" स्थापित किए जाएं.

धारा ४ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (२) में, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २००७" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २०१२" स्थापित किए जाएं.

धारा ५ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा ५ में,—

(एक) उपधारा (१) में, शब्द "और जुर्माने से जो पांच सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा", के स्थान पर, शब्द "और जुर्माने से जो दो हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में, शब्द "जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से", के स्थान पर, शब्द "जो तीन मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो दो हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा" स्थापित किए जाएं;

(तीन) उपधारा (३) में, शब्द "जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से", के स्थान पर, शब्द "जो तीन मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो दो हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा" स्थापित किए जाएं;

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, १९८४ (क्रमांक १५ सन् १९८४) में नगरीय क्षेत्रों में निवास कर रहे भूमिहीन गरीबों को आवासीय प्रयोजन के लिए पट्टाधृति अधिकारों के आवंटन का उपबंध है. अधिनियम के विद्यमान उपबंध, सक्षम प्राधिकारी को, शासकीय भूमि या नगरपालिका तथा विकास प्राधिकरणों की भूमि पर निवास कर रहे ऐसे भूमिहीन नगरीय गरीबों को जिनका ३१ दिसम्बर, २००७ को ऐसी भूमि पर कब्जा हो, पट्टाधृति अधिकार देने के लिए प्राधिकृत करते हैं. चूंकि राज्य के नगरीय क्षेत्रों में अपनी आजीविका के प्रयोजन के लिए बहुत से गरीब आ गए हैं और ऐसी भूमि पर बस गए हैं अतएव, इन भूमिहीन नगरीय गरीबों को पट्टाधृति अधिकार दिए जाने का उपबंध करने की दृष्टि से अंतिम तारीख ३१ दिसम्बर, २०१२ तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है.

२. ऐसी भूमि के अनधिकृत अंतरण करने, विक्रय करने, बेकब्जा करने या उसे भाड़े पर देने की गतिविधियों को नियंत्रित करने की दृष्टि से अधिनियम के दाण्डिक उपबंधों को और कठोर बनाया जाना भी प्रस्तावित है.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १४ मार्च, २०१३.

बाबूलाल गौर
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.